न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः–41 / 2016 (225 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या – 2016 / 00050

उनवान

1. महेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 उदयवीर सिंह
2. प्रेम सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह

} जाति जाट निवासी माडापुरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. शिवानी उम्र 12 वर्ष
   सोनिया उम्र 10 वर्ष
2. शीतल उम्र 8 वर्ष

} पुत्रीयॉ स्व0 पूरन सिंह नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक बली मॉ सीमा वेवा पूरन सिंह जाति जाट नि0 माडापुरा तह0 रूपवास जिला भरतपुर।

..... असल रेस्पोंडेंट।

3. कमलेश पत्नी अरविन्द पुत्री महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी रेवई तहसील हिण्डौन जिला करौली।

.....तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवस दिनांक 22.06.2016 उनवानी शिवानी बनाम महेन्द्र प्र0स0 138 / 12

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रैस्पोडेण्ट श्री दुलीचन्द शर्मा उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 30.07.2021

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के आदेश दिनांक 22.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी / असल रैस्पो0 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अप्रार्थी/तरतीवी रैस्पो0 व अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी कुल किता 03 रकवा 07 बीघा 12 विस्वा वाके ग्राम माडापुरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर राज0 प्रार्थी/असल रैस्पो0 एवं अप्रार्थी/अपीलाण्ट व तरतीवी रैस्पो0 की पैतृक आराजी है जो उन्हें उनके पूर्वज उदयवीर सिंह से विरासत में प्राप्त हुई है। प्रार्थी/असल रैस्पो0 के पिता का देहान्त हो चुका है। प्रार्थी/असल रैस्पो0 के बाबा अप्रार्थी/अपीलाण्ट संख्या 01 के नाम उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में होने के कारण प्रार्थी/असल रैस्पो0 के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नहीं हो सका है। इसलिये अप्रार्थी/अपीलाण्ट एवं तरतीवी रैस्पो0 के मन में बदयान्ती आ गयी है एवं विवादित आराजी को दीगर व्यक्तियों को रहन वय मुन्तकिल करने पर आमदा हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से स्वीकार करते हुये विवादित आराजी के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश पारित किये गये। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिए कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है, जो काबिल निरस्तनीय है। विवादित आराजी अपीलाण्ट की स्वयं पैदाकर्दा आराजी है जिसमें असल रैस्पो0 का कोई हिस्सा व हक नहीं है एवं ना ही उनका कब्जा काश्त है। इसके अलावा असल रैस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपीलाण्ट संख्या 01 की पत्नी व दो पुत्रियो को छोड दिया है और अपना 1/4 हिस्सा होना भी कतई गलत अंकित किया है अभी अपीलाण्ट संख्या 01 जीवित है एवं उसके जीवित रहते उसके द्वारा स्वःअर्जित सम्पत्ति में असल रैस्पो0 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों को नजरअन्दाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो काबिल निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने जवावी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है ना कि स्वःअर्जित। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षो की सुनवाई एवं सभी तथ्यों की जॉच उपरान्त ही केवल रिकार्ड की यथास्थिति हेतु आदेश दिये हैं ताकि दौराने वाद विवादित आराजी का बेचान ना हो एवं विवादित आराजी की सुरक्षा हेतु अपीलाधीन आदेश बिल्कुल उचित है एवं उसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। प्रार्थी/रैस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं को अपीलाण्ट/अप्रार्थी संख्या 01 के पुत्र स्व0 पूरन सिंह के वारिस एवं विवादित आराजी को पैतृक सम्पत्ति बताते हुये, खातेदारी अधिकारो की घोषणा का दावा मय प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा को विवादित आराजी में प्रार्थी/रैस्पो0 के बनने वाले नोशनल शेयर सुरक्षित रखते हुये, रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये हैं। अप्रार्थी/अपीलाण्ट विवादित आराजीयात को स्वःअर्जित सम्पत्ति होना कथन करते हुये, अपीलाधीन आदेश पर आपत्ति करते हैं। अपीलाण्ट की उक्त आपत्ति एवं पक्षकारो के बीच अधिकारो का निर्धारण विस्तृत साक्ष्य विवेचना के आधार पर मूल दावे में तय होगें। फिलहाल प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तय करते समय, हमें केवल प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिंदुओं की ओर ही गौर करना है। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा स्वयं जवाब प्रार्थना पत्र की मद संख्या 04 में प्रार्थी/रैस्पो0 के पिता पूरन सिंह के स्वर्गवास होने के पश्चात् उनकी मॉ को 03 बीघा रकवा काश्त करने के लिये देना अंकित किया है। जिससे स्पष्ट जाहिर है कि प्रार्थी/रैस्पो0 अप्रार्थी/अपीलाण्ट संख्या 01 के पुत्र पूरन सिंह के वारिस हैं एवं उनका विवादित आराजी पर कब्जा काश्त रहा है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी/रैस्पो0 के पक्ष में बनता है। अतः सुविधा सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति भी अप्रार्थी/अपीलाण्ट के पक्ष में ना होकर, प्रार्थी/रैस्पो0 के पक्ष में होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। वैसे भी दौरान वाद, वाद जटिलता, बहुलता से बचने एवं विवादित भूमि को खुर्द-बुर्द होने से रोकने के लिए स्थगन निरापद है। लिहाजा हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास के निर्णय दिनांक 22.06.2016 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 30.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30.07.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
कार्या0 भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर